सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— **श्री अंशुल सिंह, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 175/2019 दायर दिनॉक 17.07.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. गोपीराम पुत्र पन्नाराम, जाति—जाट, निवासी—मौलासर तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:—

1. श्री रणजीत बलारा वकील वादी

दिनॉक 18.02.2020

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, यह है कि खेत खसरा संख्या 53 रकबा 17.09 बीघा व खसरा 55 रकबा 17 बीघा वाके मौलासर स्थित है, जिसकी खातेदारी वादी व अन्य लोगो के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है।

यह है कि उक्त खेतो की खातेदारी की जमाबन्दी में सहू से गोपीराम पुत्र पन्नाराम के बजाय गोपालराम पुत्र लादुराम दर्ज हो गया, जबकि वादी व उसके पिता सही नाम गोपीराम पुत्र पन्नाराम है और यही सही नाम है, तथा वादी के समस्त दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, सेकेण्डरी स्कुल की अंक तालिका वर्ष 1991, मूल निवास प्रमाण—पत्र, सेकेण्डरी स्कुल का बोर्ड प्रमाण—पत्र वर्ष 1991, ड्राइविंग लाईसेन्स, पेन—कार्ड, बैंक की पास बुक, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण—पत्र, सेना से रिटायर होने की डिस्चार्ज बुक, सेना अधिकारी द्वारा जन्म तिथी बाबत प्रमाण—पत्र, भूतपूर्व सैनिक का पहचान पत्र आदी सभी दस्तावेजात में वादी का नाम गोपीराम पुत्र पन्नाराम दर्ज है जो सही नाम है। वादी अपने नाम व अपने पिता के नाम की दुरूस्ती करवाना चाहता है जिसका की वो जायज अधिकारी है और इसलिये वादी को दावा बाबत अपने नाम की दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

यह है कि वादी के चाचा का नाम लादुराम होने से राजस्व कर्मचारियों ने गलत अंकन गोपीराम पुत्र पन्नाराम की जगह गोपालराम पुत्र

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 175/2019
दायर दिनाँक 17.07.2019 निर्णय दिनाँक 18.02.2020
गोपीराम बनाम तहसीलदार डीडवाना, वगैरा।

लादुराम कर दिया, जिसकी दुरूस्ती की जानी कानूनन सही है। अन्य खातेदारो की खातेदारी यथावत रहेगी, जिनसे वादी को कोई सरोकर नही है। इसलिये उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है।

यह है कि प्रार्थना वादी –

1) यह है कि खेत खसरा संख्या 53 रकबा 17.09 बीघा व खसरा संख्या 55 रकबा 17 बीघा वाके मौलासर की खातेदारी में गोपालराम पुत्र लादुराम की जगह गोपीराम पुत्र पन्नाराम किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाने का आदेश प्रदान करावें।

2) यह है कि अन्य सहायता जो वादी के लाभ की हो दिलाई जावें।

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्र क्रमांक 2225 दिनांक 26.12.2019 के द्वारा रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वादी का नाम गोपीराम पुत्र पन्नाराम जिसका आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड आदि में वादी गोपीराम पुत्र पन्नाराम है। अतः वादी का नाम गोपीराम पुत्र पन्नाराम है जो कि सही है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वादी का गोपीराम पुत्र पन्नाराम दर्ज किया जाना उचित है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री वाके सरहद मौलासर के खसरा नम्बर 53 रकबा 17 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 55 रकबा 17 बीघा में वादी का नाम गोपालराम पुत्र लादुराम के स्थान पर गोपीराम पुत्र पन्नाराम दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **18.02..2020** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री अंशुल सिंह, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **175/2019** दायर दिनाँक **17.07.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. गोपीराम पुत्र पन्नाराम, जाति–जाट, निवासी–मौलासर तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक **18.02.2020**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रणजीत बलारा वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा सरहद वाके सरहद मौलासर के खसरा नम्बर 53 रकबा 17 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 55 रकबा 17 बीघा में वादी का नाम गोपालराम पुत्र लादुराम के स्थान पर गोपीराम पुत्र पन्नाराम दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **18.02.2020** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बावत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner